

17.31 hrs.

Title: Discussion on points arising out of the answer given by the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution on 7 April, 2003 to in reply to Starred Question No. 242 regarding withdrawal of FCI from procurement of food grains.

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, regarding procurement of paddy and rice ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: We will have to complete this discussion in half-an-hour.

SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, regarding procurement of paddy and rice, the Government of India has decided to procure 35 lakh tonnes from Andhra Pradesh this year. So far, they have procured only 18 lakh tonnes of rice due to the drought situation prevailing in Andhra Pradesh.

Last year, when the Government of India fixed the Minimum Support Price, we requested it to increase the price. Then, the Government of India, in the name of special drought relief have given Rs. 20, in addition to the Minimum Support Price. Now, the farming community and even the millers in Andhra Pradesh have requested the Government of India that instead of 50 per cent procurement of paddy, it should procure 75 per cent of paddy. Recently, after the requests made by various States, like Punjab, Haryana, Orissa, Chandigarh, Delhi and Uttar Pradesh, the Government of India have already permitted them to increase the procurement up to 75 per cent in the above States.

I would like to impress upon the Government of India to increase the procurement up to 75 per cent in respect of Andhra Pradesh also so that the farmers can get the Minimum Support Price. The Chief Minister of Andhra Pradesh has also written a letter on 30.04.2003 regarding this increase in procurement, that is, from 50 per cent to 75 per cent. Last year, to provide Minimum Support Price to each and every farmer, the Government of Andhra Pradesh strictly implemented these things and the millers have purchased a lot of paddy, which is now being stored in the mills, and the farmers also have a lot of paddy crop. The FCI has not been procuring from them and, that is why, the farmers are not getting the Minimum Support Price.

Due to the prevailing drought conditions, I am requesting the Government of India to give directions to the FCI to procure 30 lakh tonnes of rice and also increase the procurement of par-boiled rice from five million tonnes to seven million tonnes. Only then, the farmers will get the Minimum Support Price. On one side, we are facing drought. You are sending three lakh million tonnes of rice from Punjab and Haryana to Andhra Pradesh, but due to rakes problem, we are not getting that rice properly. That is why, the price of rice is increasing alarmingly. In this situation, you have to allow the farmers in Andhra Pradesh to give more rice for procurement. Only then, Andhra Pradesh would get the rice and the rakes"" problem also would be solved.

The third request, which I have raised in the morning, is that in addition to the Minimum Support Price, Rs. 20 should be given extra as a special drought relief to the farming community. You have given this from the 'Drought Cess' to the wheat-producing farmers in Haryana and Punjab.

The same facility has not been extended to the paddy farmers. So, I request the hon. Minister to give Special Drought Relief of Rs.20 to the farmers for the *rabi* crop also.

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास दो माननीय सदस्यों के नाम हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रो. रासा सिंह रावत, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य प्रकार की जो विभिन्न योजनाओं के अधीन, राज्यों की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अधीन, राज्यों को आपूर्ति करने के लिए खाद्यान्नों की जो मौजूदा वसूली है, क्या इस प्रणाली में कुछ दोष हैं, यदि हाँ, तो सरकार भविष्य में उनके निवारण के लिए क्या करने जा रही है, क्योंकि गोदाम भरे हुए हैं, कुछ राज्यों में गोदाम खाली हैं। परिणाम स्वरूप जहाँ जहाँ प्रक्योरमेंट होता है, वहाँ अनाज रखने के लिए जगह नहीं है और जहाँ प्रक्योरमेंट नहीं होता है, वहाँ सप्लाय कर के लोगों को अन्न पहुंचाने में कठिनाई आती है। कहीं रेलवे रैक्स की कमी के कारण या अन्य-अन्य कारणों से समय पर अन्न नहीं पहुंच पाता है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी और भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय खाद्य निगम अच्छा काम कर रहा है। उसका रिकार्ड भी बहुत अच्छा रहा है और देशभर में उसके 60 हजार कर्मचारी 5696 गोदामों, कार्यालयों के माध्यम से खरीद प्रक्रिया में सेवारत हैं, लेकिन कई जगह, धीरे-धीरे कर्मचारियों की कमी, रैक्स की कमी, जहाँ प्रक्योरमेंट होता है वहाँ से प्रक्योरमेंट नहीं होने वाले क्षेत्रों में अन्न भेजने की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण कमी वाले क्षेत्रों में अन्न नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण अकाल राहत कार्यों में, काम करने वाले लोगों को कैंश पेमेंट के साथ, जो गेहूँ मिलता है, वह समय पर नहीं मिल पाता है। क्या इस कठिनाई के निवारण के लिए मंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे ?

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Sir, in the CAG Report No.3 of 2002, it was stated that:

"Unproductive expenditure/investments amounting to Rs.341.44 crore attributable to construction of excess dwelling units, non-recovery of inter-corporate deposits, investments in joint ventures, pay and allowances of idle labour, injudicious import of components, procurement of equipment, etc., were noticed in 38 cases."

Has any action been taken by the Government so far in this regard? If so, what is the stage of that action? Is the Central Government going to revise the policy of procurement through FCI? All the State Governments, whether run by BJP or other parties, are opposing the decentralisation. They want the procurement to be done by the FCI. Otherwise, some subsidy should be given to the State Governments. What is the policy of the Government?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, it was assuring to learn that the Government does not propose to withdraw FCI from the procurement process. Therefore, our next anxiety obviously was the abnormal increase in what you call the economic cost of the wheat which is ultimately released for distribution under the PDS. It was in answer to one of the Questions today that we found that the price is raised abnormally – firstly the procurement cost and then the distribution cost. We would like to know from the hon. Minister as to what steps he proposes to take because I find storage charges twice, interest twice and cartage twice. How can you curtail this and ensure that the FCI remains in the field, works efficiently and the foodgrains of good quality are made available to the people at affordable costs?

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Speaker, during the year 2002-2003, procurement of paddy was supposed to be done by the FCI in the KBK Districts and additional six Districts of Western Orissa. However, I am sorry to state that not a single grain was procured by the FCI. The reason they gave for non-procurement was that the paddy was not of FAQ quality. If that is the case, how is it that for 50 years after Independence, all the farmers have been able to sell their paddy and the grain was FAQ to the miller agents and to rice mill owners? What was the reason for not procuring a single grain of paddy last year in the Districts of Orissa?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई भाग नहीं देना है, सीधी सी एक बात पूछनी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले कई वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है, वैसे ही वहां किसानों की हालत खराब है। मैं अभी अपने क्षेत्र में होकर आया हूँ और मैंने बहुत से गांवों का दौरा किया है। मैं आपको स्थिति की जानकारी देना चाहता हूँ कि एफसीआई ने वहां प्रक्योरमेंट एक तरह से पूरी तरह बंद किया हुआ है। यह मेरी कांस्टीट्यूएन्सी के छतरपुर और टीकमगढ़ जिले का हाल है तथा बगल के जिलों की भी यही स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कृपा कर आप यह पता लगाएंगे, सरकार जांच कराएगी कि एफसीआई ने वहां जो गेहूँ की खरीद करनी थी, उसकी कितनी खरीद की और कितना पैसा पहुँचाया। किसानों का किसी का गल्ला ले भी लिया तो उनका पैसा नहीं मिल रहा है। वहां उनके पास बोरे नहीं हैं और इस दुर्व्यवस्था के कारण समूचे मध्य प्रदेश के किसान बेहद परेशान हैं। **â€œ**(व्यवधान)**क्या आप इसकी जांच करा कर आवश्यक निर्देश देंगे।** **â€œ**(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now, Shri N. Janardhana Reddy.

Though their names are not there in the notice of this Half-an-Hour Discussion, I have permitted them to ask one small question each, as a special case.

SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): Sir, the question asked specifically on the 7th March 2003 was that whether the Government is considering the supply of foodgrains to the deficit States like Kerala.

Those days, Pandit Nehru had established the FCI. But it is only recently, after this Government took over, that they are wanting to do away with the FCI. So, I would like to know specifically whether the Government is thinking to continue with the FCI, MSP and the procurement system that are available in the country to help the farmers.

उपमोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष जी, येरनायडू जी, चतुर्वेदी जी, रेड्डी जी तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने जो सवाल पूछे हैं, उन पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। मैं सोचता हूँ कि इन सवालों पर इस सदन में लगातार एक बार नहीं, बल्कि कई बार चर्चा हुई है। अभी हमारे पुराने मंत्री जी बोल रहे थे, सरकार मानती है कि जो इंडस्ट्रिमेंट्स उन्हें दिए हैं, ये हिन्दुस्तान के किसानों को वाज़िब दाम देने के लिए है। हिन्दुस्तान में कई प्रकार की आपदा और विपदा आती है। गरीबी रेखा के नीचे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, खास करके वे सब लोग, जिनको कम से कम भोजन की आवश्यकता है। उसके समाधान के लिए, जो सूखे और ड्राउट वाले इलाके हैं, क्योंकि हमारे यहां कई जगह सूखा पड़ जाता है, कई जगह बाढ़ आ जाती है या कई जगह भूकम्प आ जाता है। यह बहुत बड़ा देश है, इसलिए अनाज को प्रक्योर करने और उसकी मूवमेंट का जो हमारा काम है तथा अंत्योदय अन्न योजना आदि काम हैं, इन सारे कामों की बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी हमारी हो या आपकी हो, उस जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। जिस समय एनडीए की सरकार ने टेकऑवर किया था, उस समय 9000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पीडीएस में दी जाती थी, इस समय वह बढ़ कर 18,000 करोड़ रुपए हो गई है। फूडग्रेन सब्सिडी भी बढ़ कर 40,000 करोड़ हो गई है। निश्चित तौर पर यह ऐसा मामला है कि इसकी जिसने भी स्थापना की है और जिन आवश्यकताओं के लिए की गई है, वह देश के लिए जरूरी है। **â€œ**(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : हमने एफसीआई के रोल का ज्यादा जिक्र किया था, **â€œ**(व्यवधान)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): FCI is the problem. We want to know about it.

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, सब्सिडी का मसला अलग है, जो पहला बुनियादी सवाल था, जिस पर आधे घंटे की चर्चा हुई है, उसमें हमें आशंका हुई थी। आपने जवाब में तो कह दिया था कि एफसीआई अपना काम नहीं छोड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि एफसीआई धीरे-धीरे अपने काम से हट रही है। **â€œ**(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं उस बात पर आ रहा हूँ। मैंने आपसे निवेदन किया कि सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। **â€œ**(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आपने अभी कहा कि 40,000 करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी दी जा रही है, मेरे ख्याल से इसे चैक कर लीजिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैंने सब मिलाकर कहा है, इसमें मिड डे मील शामिल है, एस.जे.आर.वाई. शामिल है, उन सारी योजनाओं पर यह सब्सिडी हो सकती है। आपकी बात ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर **₹1** (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप आसन की तरफ देखकर उत्तर दीजिए।

श्री शिवराज वि.पाटील (लाटूर) : यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में आप कहेंगे कि हम 40 हजार करोड़ रुपये की फूड सब्सिडी दे रहे हैं। यह बात सही नहीं है, इसे प्लीज चैक कर लीजिए। यह सारी सब्सिडी मिलाकर होगी, आप वह बोलिये **₹1** (व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं वह सब सब्सिडी मिलाकर कह रहा हूँ। येरननायडू जी ने जो बात कही है, जो प्रिक्वोरमेंट का सवाल इन्होंने पूछा है और बंसल जी की चिन्ता एफ.सी.आई. की है। जो प्रिक्वोरमेंट की जिम्मेदारी है, उसमें हम किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम वह जिम्मेदारी निभाएंगे। हां, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो किसानों से खरीद का काम है, देश भर का किसान चाहता है कि सारे देश में एफ.सी.आई. के लोग पहुंचें, लेकिन हमारा इंस्ट्रुमेंट उतना बड़ा नहीं है। जहां हम पहले से काम कर रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, इससे हटकर भी हमने बिहार और उड़ीसा में सारी जगह जाकर कोशिश की है कि हम इसका विस्तार करें।

जो एफ.सी.आई. के प्रिक्वोरमेंट सैण्टर्स हैं, उनके विस्तार का भी काम हमने इस साल शुरू किया है। बिहार के अन्दर पिछले साल 41 खरीद केन्द्र थे, इस साल उनको हमने 100 किया है। अभी जो उड़ीसा के साथी के.वी.के. वाले डिस्ट्रिक्ट में खरीद का मामला पूछ रहे थे, उनकी शिकायत मेरे पास आई थी, उस शिकायत के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि उनका पत्र मेरे पास आ गया है। वहां खरीद क्यों नहीं की गई है, उसमें जो कमी है, हम उस कमी को दूर करने का काम करेंगे।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एफ.सी.आई. के पहले बहुत से खरीद केन्द्र थे, लेकिन इस बार खरीद नहीं हो पाई तो वहां किस वजह से नहीं हो पाई?

श्री शरद यादव : श्यामाचरण जी ने एक बात सही कही। हमने कई तरह की व्यवस्था बनाकर रखी है। एफ.सी.आई. का जो खरीद का तरीका है, वह पंजाब, हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में व्यवस्था अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल हैं, ये आठ सूबे हैं, इन सूबों में हम डीसैण्ट्रलाइज्ड प्रिक्वोरमेंट कर रहे हैं। यह काम हमने वहीं की सरकार के हाथ में दे दिया है। वहां सारी प्रिक्वोरमेंट करने की जिम्मेदारी वहां के सूबे की सरकार के हाथ में दे दी गई है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ **₹1** (व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह सही नहीं है, आपके एफ.सी.आई. के लोग हमारे यहां सैण्टर खोलकर बैठे हैं।

श्री शरद यादव : वह आपके सूबे में है, मैं इन सब की बात कह रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ कि डीसैण्ट्रलाइज्ड प्रिक्वोरमेंट का सिस्टम वहां हमने लागू किया है। आपके सूबे में भी डीसैण्ट्रलाइज्ड प्रिक्वोरमेंट के लिए हमने फैसला किया है। आपके यहां एफ.सी.आई. भी प्रिक्वोरमेंट कर रहा है और सूबे की सरकार भी कर रही है। निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं, बाकी सूबों में हम जो गये हैं, वहां हमने जो खरीद केन्द्र खोले हैं, वे बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। बाहर से कुछ लोग वहां गये हैं, हालांकि कर्मचारियों की हमारे पास कमी है, उसमें कई शिकायतें आ रही हैं। आपने जो शिकायत की है, जबलपुर के इलाके से भी कुछ शिकायतें आई हैं, जहां-जहां से भी शिकायतें आई हैं, के.वी.के. रीजन की भी शिकायतें हैं, निश्चित तौर पर इन सारी शिकायतों को आप कृपया मुझे देने का भी काम करें और आगे भी जो गड़बड़ी है, उसे भी बताने का काम करें। चूंकि वहां के इलाकों में प्रिक्वोरमेंट करने के लिए हम लोग गये हैं। जहां हम नये इलाकों में जाएंगे, वहां व्यवस्था नहीं है। जैसे पंजाब और हरियाणा में सर छोट्टू राम के जमाने से मंडी सिस्टम है, वहां एक व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था में कितनी खामियां हैं, कितनी गड़बड़ी होती है, यह एक सवाल है, लेकिन कई इलाकों में तो खरीद की व्यवस्था हमने नई कायम की है। जब नये इलाकों में हम जाते हैं तो नई तरह की दिक्कतें हमारे सामने आती हैं।

येरननायडू साहब ने जो कहा है कि उनके इलाके में, सूबे में ड्राउट है, इसलिए इस बार खरीद कम होगी। उन्होंने कुछ सवाल भी उठाये हैं। आज शाम को टास्कफोर्स की मीटिंग होने वाली है। मेरी आपसे भी चर्चा हुई है, इन कठिनाइयों को हम जानते हैं और इस बार आपने 18 लाख मीट्रिक टन राइस की मांग की है **₹1** (व्यवधान)

श्री येरननायडू जी ने तीन-चार सवाल उठाये हैं जिन पर मेरी उनके साथ चर्चा होती रही है। मैं मानता हूँ कि ये सारी चीजें चूंकि ड्राउट से रिलेटिड हैं और भारत सरकार की तरफ से ड्राउट से इफैक्टिव तरीके से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनायी गयी है।

SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, there are 2-3 issues. The Chairman of the Task Force is also present here.

Last year, due to drought, an amount of Rs.20 as special drought cess was given to each of the wheat and paddy farmers. For the Rabi season, the same facility is extended to wheat farmers, but not to the paddy farmers, whereas the drought is still continuing. That is why, the Task Force is sanctioning rice and wheat to some States by way of Food for Work scheme and other schemes. Why have they not extended this facility to paddy farmers and why have they not given Rs.20 as special drought cess to each of them? If this continues, the farmers will not get the Minimum Support Price.

Secondly, based on Andhra Pradesh Levy Order 1985, FCI was procuring paddy and rice on the basis of 50:50. There is no demand outside. The Government of Andhra Pradesh has requested them, due to the prevailing circumstances, to increase this 50 per cent to 75 per cent so that it is on par with other States like Haryana, Punjab, Chattisgarh, etc. At the request of the respective Governments, they have extended this up to 75 per cent.

If they accede to our request, the FCI will also save some money. We are getting rice from Punjab and Haryana; every month we are getting about three lakh tonnes. There is a problem of getting rakes also. We are not getting sufficient rice. The FCI can procure up to 75 per cent; they are procuring for PDS, for social welfare schemes like *Antyodaya*, *Annapoorna*, etc. They could get rice from Andhra Pradesh itself; and they need not send rice from north to south; by this way, transportation charges will also be less. I want clarification on these issues.

श्री शरद यादव : श्री येरननायडू जी ने जो कहा है, उसके बारे में मुझे कहना है कि पहले उनके यहां ऐसी व्यवस्था थी कि 50 परसेंट लैवी राइस भारत सरकार लेती है। अब वे चाहते हैं कि 75 परसेंट लैवी कर दी जाये। पंजाब और हरियाणा में पुराना सिस्टम है। इनकी मांग के संबंध में, उनकी मेरे साथ बात हुई है। हम उसे पूरा एग्जामिन करके आपसे चर्चा करेंगे। इन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बरसों से पैडी में जो 20 रुपये रिलीफ दिया गया है, वह रबी के सीजन में भी दें, क्योंकि सूखे के कारण इस फसल पर भी असर पड़ा है। इसके बारे में कोई फँसला कैबिनेट में ही सकता है। यह बात हमारे दिमाग में है। मैं उस सवाल के बारे में यहां कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह तो कैबिनेट का अधिकार है।

माननीय सदस्य ने और जो सवाल उठाये हैं, उनके बारे में मेरी आपसे चर्चा होती रही है। आपने मूर्ति साहब का जिम्मा अपने हाथ में लेकर सारे सवाल पूछे हैं। इन स वालों पर हम ध्यान देंगे। चूंकि सबके बारे में बताने में समय बहुत लग जायेगा। स्पेशल कम्पौन्ट प्लान के अंतर्गत एस.जी.आर.वाई. में 90 लाख मीट्रिक टन अनाज है। क्योंकि यह आसाधारण परिस्थिति है इसलिए आसाधारण कदम उठाने चाहिए। जो ड्राउट इफेक्टेड आर्बिट्रि एरियाज हैं, उनके लिए प्री ऑफ कास्ट आर्बिट्रि किया गया है।

अभी श्री शिवराज पाटिल ने कुछ फिगर्स के बारे में कहा था। यह पिछले साल नहीं, इस साल का बढ़ेगा। पिछले साल फूड सबसिडी 24 हजार करोड़ रुपये थी। पांच हजार करोड़ रुपये एस.जी.आर.वाई. के लिए रेगुलर है, आठ हजार करोड़ रुपये एस.जी.आर.वाई. स्पेशल कम्पौन्ट में खाद्यान्न का आबटन हुआ है और एक हजार करोड़ रुपये मिड डे मील में है। ऐसे करीब 38 हजार करोड़ रुपये बनते हैं। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ी गलती हुई जिसे मैंने करैक्ट करने के लिए यहां रखने का काम किया है। श्री येरननायडू से मेरी चर्चा चलती रहती है और वह चर्चा जारी रहेगी। इन्होंने और जो सवाल उठाये हैं, उसके बारे में टास्क फोर्स की होने वाली मीटिंग, जो छः बजे होनी है, उसमें हम इन सवालों को देखेंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैंने बहुत स्पष्ट रूप से यह पूछा था और मैं जिन क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख करके बता रहा हूँ वहां एफ.सी.आई. द्वारा खरीद के लिए किसान कई दिनों तक खड़ा रहता है, लेकिन उसके अनाज की खरीद नहीं हो रही है। क्या आप कृपा करके इसकी जांच करवाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर किसानों का अनाज खरीदा जाए, उनके पास पर्याप्त बोरे हों और पर्याप्त राशि हो।
(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं इस पर विस्तार से बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपने कहा कि समय का अभाव है।
(व्यवधान) चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि उनके इलाके में खरीद के मामले में एफ.सी.आई. के केन्द्र ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। एफ.सी.आई. जब खरीद करती है तो फेयर ऐवरेज क्वालिटी का अनाज खरीदती है। जिन नए इलाकों में हम जाते हैं, हमारे पास फेयर ऐवरेज क्वालिटी के लिए मशीन होती है, सब तरह के तोल होते हैं, सब तरह के नार्म्स होते हैं। यदि हम खराब अनाज खरीद लें।
(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हम यह नहीं कह रहे कि खराब अनाज खरीदें।
(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आप कैसे जानते हैं। जानने वाले लोगों की जानकारी में है।
(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हम किसान हैं, हम नहीं जानते तो क्या आप जानते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। हम खेती करते हैं, यहां बैठकर ऐसे ही बात नहीं करते।
(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं भी जब इस मंत्रालय में नहीं था, एफ.ए.क्यू. के कितने कड़े नार्म्स होते हैं, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। निश्चित तौर पर मानिए कि हम जिन नए इलाकों में जाते हैं, जैसे बिहार में हमने बड़े पैमाने पर खरीद करने की कोशिश की थी। नए इलाकों के लिए मैं कह सकता था कि खरीद हो रही है या नहीं। निश्चित तौर पर एफ.ए.क्यू. नार्म्स पालन करने में कई बार ईमानदारी से काम करते हैं और कई बार कंजूसी से, यानी अपने काम के चलते, ऐसे भी केस होते हैं जहां वे नहीं करते। आपने जो सवाल उठाया है, मैं उसे जरूर दिखवाने का काम करूंगा।
(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : आपने खरीद का मामला रखा है।
(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में राज्य एजेंसियां खरीद नहीं कर रही हैं। गोहूँ पैदा करने वाला किसान मारा-मारा फिर रहा है। आज साढ़े चार सौ रुपये, पौने पांच सौ रुपये क्विंटल पर उत्तर प्रदेश में किसान गोहूँ बेचने के लिए मजबूर हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राज्य एजेंसियों पर भी खरीद के लिए आपका नियंत्रण होना चाहिए।
(व्यवधान)

श्री शरद यादव : यह विषय बहुत सैनसीटिव है और हरेक से वास्ता रखता है। आपने जो सवाल उठाए, मैंने सुने हैं। उनका विस्तार से जवाब देने की जरूरत है। जैसे अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल उठाया। वहां डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोक्योरमेंट है। उन्होंने वहां खरीद के मामले में सूचना दी है कि पहले से ही कभी उत्तर प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा गोहूँ की खरीद होती है। आपने सूचना दी है, सुबह सुमन जी ने भी इस पर शायद नोटिस दिया था। जहां डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोक्योरमेंट है, हमने इसे कई सूबों में वहां सूबों की सरकार के हाथ में दिया है। जब नया सिस्टम लागू हुआ है तो पहली बार कुछ सालों तक वह स्ट्रीमलाइन होता है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उन सारी बातों को मैंने सुना है। यदि आप कहें तो मैं विस्तार से इसका जवाब दूँ जिससे मैं भी संतुष्ट हो सकता हूँ और लोगों को भी मुतमईन करवा सकता हूँ।
(व्यवधान)